आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2018(1) पेज 564–757

नेक सिंह बनाम हरियाणा राज्य (न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान)

न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान, के समक्ष

नेक सिंह अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य – प्रतिवादी

सी. आर. ए.–एस. No.1968–SB/2002

13 मार्च, 2018

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985–एस. एस. 15, 50, 52–ए और 52–ए (3) – अपीलकर्ता ने 19 किलोग्राम अफीम की भुस्सी रखने के लिए एन. डी. पी. एस. अधिनियम की भाग 15 के तहत मुकदमा चलाया और दोषी ठहराया – दायर की गई अपील – स्वीकार की गई – निर्धारित किया गया – अधिनियम की भाग 50 के तहत किसी व्यक्ति को दिए गए प्रस्ताव में स्पष्ट होना चाहिए कि उसे मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी लेने का कानूनी अधिकार है – सूची तैयार नहीं की गई है –अधिनियम की भाग 52–ए का स्पष्ट उल्लंघन – अधिनियम की भाग 52–ए (3) के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया – इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी और प्रतिबंधित पदार्थ की वसूली के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था।

निर्धारित किया गया है कि यह अधिनियम की भाग 50 के अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन का एक स्पष्ट मामला है। अधिनियम की भाग 50 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को दिया गया प्रस्ताव स्पष्ट होना चाहिए कि उसे मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी लेने का कानूनी अधिकार है।

(पैरा 17 (ए)

आगे कहा गया है कि रिकॉर्ड के अनुसार अधिनियम की भाग 52–ए का स्पष्ट उल्लंघन है। गवाह एएसआई आत्मा राम के बयान के सावधानीपूर्वक अवलोकन करने से पता चलता है कि उन्होंने कोई सूची तैयार नहीं की है और यहां तक कि एस. आई./एस. एच. ओ. शमशेर सिंह ने भी बयान दिया है कि जब आरोपी को उनके सामने पेश किया गया था, तो उन्होंने कोई सूची तैयार नहीं की थी।

(पैरा 17 (बी)

आगे कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार, वर्तमान मामले में भाग 52–ए (3) के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया गया है।अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं है कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी और प्रतिबंधित पदार्थ की वसूली के बाद, उन्हें पुलिस या न्यायिक मालखाने में बरामद प्रतिबंधित पदार्थ जमा करने और एफ. एस. एल. को भेजे जाने के संबंध में मजिस्ट्रेट से सत्यापन और ऐसा कोई आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, बल्कि गवाह ए. एस. आई. आत्मा राम और गवाह एस. आई./एस. एच. ओ. शमशेर सिंह के बयानों के अवलोकन से पता चलता है कि आरोपी को एस. एच. ओ. के सामने पेश किए जाने के बाद, उन्होंने यानी एस. एच. ओ. ने प्रतिबंधित पदार्थ को पुलिस मालखाना में रखने का निर्देश दिया और उसे कभी भी सत्यापन के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया।

(पैरा 17 (सी))

नेक सिंह बनाम हरियाणा राज्य (न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान)

आगे कहा गया है , यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि मौके पर या बाद में भी सी. एफ. एस. एल. फार्म संख्या 29 तैयार करना अनिवार्य है, उस समय जब मामले की संपत्ति पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. प्रभारी के सामने पेश की जाती है और सी. एफ. एस. एल. के सामने नमूना पार्सल के साथ भेजे जाने के लिए एक नमूना सील चिट तैयार करना ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि यह वही नमूना पार्सल है जिसे जांच अधिकारी द्वारा बरामद और सील किया गया था।किसी भी फार्म संख्या 29 की अनुपस्थिति में में और एफ. एस. एल. को नमूना मुहर (एस) भेजने पर, अपीलकर्ता से की गई वसूली अत्यधिक संदिग्ध है।

(पैरा 17 (डी)

आगे कहा कि पूरी जाँच एएसआई आत्मा राम द्वारा उस समय से की जाती है जब आरोपी को भाग 173 Cr.P.C के तहत रिपोर्ट तैयार करने और जमा करने तक संदेह के आधार पर पकड़ा गया था। इसलिए, किसी भी समय, उसके द्वारा की गई जाँच को किसी अन्य स्वतंत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

(पैरा 17 (जी))

स्वाति बत्रा, अधिवक्ता, न्यायालय मित्र के रूप में

अपीलकर्ता के लिए।

गुरप्रीत कौर, ए. एएजी हरियाणा।

अरविंद सिंह सांगवान, न्यायमूर्ति. (मौखिक)

(1) इस अपील में प्रार्थना आई. डी. 1 दिनांकित 21.11.2002 के निर्णय को रद्द करने के लिए है, जिसके तहत अपीलकर्ता को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की भाग 15 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत दोषी ठहराया गया था, साथ ही दिनांक 26.11.2002,सजा के आदेश के तहत जिसमें उसे 2 साल और 6 महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास से गुजरने और आई. डी. 10,000/– का जुर्माना देने का आदेश दिया गया था।जुर्माने का भुगतान न करने पर 6 महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास से गुजरना होगा।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि ए. एस. आई. आत्मा राम पुलिस अधिकारियों के साथ पानीपत के संजय चौक पर गश्ती ड्यूटी के दौरान दिनांक 18.11.1997 को मौजूद थे, जब अपीलार्थी–आरोपी को सनोली रोड की ओर से हरे रंग का थैला लिए आते देखा गया और पुलिस दल को देखकर वहघबरा हो गया और भागने की कोशिशकरने लगा।संदेह होने पर पुलिस दल ने उसे पकड़ लिया।इसके बाद, संदेह होने पर, उन्हें अधिनियम की भाग 50 के तहत एक नोटिस (Ex.PA) दिया गया, जिसमें उन्हें एक प्रस्ताव दिया गया कि क्या वह एएसआई आत्मा राम या किसी उच्च अधिकारी द्वारा तलाशी लेना चाहते हैं।अभियुक्त ने एक वरिष्ठ अधिकारी के सामने अपनी तलाशी के लिए ज्ञापन Ex.PA/1 के माध्यम से अपनी सहमति दी।नोटिस के साथ–साथ जवाब पर अभियुक्त–अपीलार्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे। और नोटिस को जाँच अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था। प्राथमिकी आर. में यह भी कहा गया है कि सयोंग से डी. एस. पी. प्रताप सिंह अपने कर्मचारियों के साथ एक सरकारी वाहन में वहाँ पहुँचे और फिर ए. एस. आई. ने डी. एस. पी. को मामले के तथ्यों का खुलासा किया और उनके लिखित निर्देश पर, उन्होंने आरोपी के थैले की तलाशी ली और पाया कि उसमें अफीम की बुस्सी था, जिसका वजन लगभग 19 किलो था।जिसमें से 250 ग्राम के नमूने को अलग किया गया और 'एआर' की मुहर के साथ अलग से सील कर दिया गया और मेमो के माध्यम से पुलिस के कब्जे में ले लिया गया।Ex.PC जिसे डी. एस. पी. ने अपनी मुहर 'पी. एस.' लगाकर सत्यापित किया था।नमूने को सील करने के बाद मुहर एक सिपाही महाबीर को सौंप दी गई।आरोपी कोई परमिट या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका, फिर ए. एस. आई. ने पुलिस स्टेशन को रुका (Ex.PF) भेजा, जिसके आधार पर औपचारिक प्रथम सुचना रिपोर्ट (Ex.PF/1) दर्ज की गई।उन्होंने सही

इम्त्याजी नोट के साथ रफ साइट प्लान (Ex.PG) भी तैयार किया और उसके बाद, गवाहों के बयान दर्ज किए और आरोपी को गिरफ्तार किया।जांच पूरी होने पर, आरोपी, गवाह और मामले की संपत्ति को एस. आई./एस. एच. ओ. शमशेर सिंह के सामने पेश किया गया, जिन्होंने इसकी पुष्टि की और दोनों पार्सल पर 'एस. एस.' के रूप में अपनी मुहर लगा दी और फिर उनके निर्देश पर, ए. एस. आई. ने मामले की संपत्ति को एम. एच. सी. में जमा कर दिया।

(3) दिनांक 24.11.1997 को एम. एच. सी. सत पाल सिंह ने निदेशक, एफ. एस. एल., मधुबन के पास जमा करने के लिए सिपाही बालजीत सिंह जगलान को सील के साथ नमूना पार्सल सौंप दिया और उसी दिन रिपोर्ट EX PH दिनांक 24.03.1998 को एफ. एस. एल. से प्राप्त किया और चालान को निचली अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और उसके बाद, दिनांक 25.08.1998 के आदेश के अनुसार, आरोपी पर अधिनियम की भाग 15 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था।

(4) अभियोजन पक्ष ने बरामदगी के गवाह. 1–महाबीर सिंह से पूछताछ की, जिन्होंने प्राथमिकी आर. में दिए गए बयान के आधार पर गवाही दी। गवाह 2–एस. आई./एस. एच. ओ. शमशेर सिंह ने साबित किया कि आरोपी को मामले की संपत्ति के साथ उसके सामने पेश किया गया था और उसके निर्देश पर, ए. एस. आई. ने मामले की संपत्ति एम. एच. सी. में जमा कर दी। गवाह 3– बालजीत सिंह जगलान कांस्टेबल ने कहा कि उन्होंने उच्च अधिकारियों को विशेष रिपोर्ट सौंपी। गवाह 4–डीएसपी प्रताप सिंह ने अपीलकर्ता से हुई बरामदगी के बारे में यह भी कहा कि जब वह गश्ती ड्यूटी पर पानीपत के संजय चौक के पास पहुंचे, तो उन्होंने एएसआई आत्मा राम से मुलाकात की और आरोपी द्वारा ले जाए गए थैले की जांच करने का निर्देश दिया, जिसमें से लगभग 19 किलोग्राम अफीम की बुस्सी बरामद किया गया था।उसी को पुलिस ने मेमो Ex.PC के माध्यम से अपने कब्जे में ले लिया और उसने अपनी मुहर 'पीएस' के माध्यम से उसी की पुष्टि की।इस गवाह ने आगे मामले की संपत्ति की पहचान Ex.P1 के रूप में की। गवाह – 5 एच. सी. सत्यपाल ने अपना शपथ पत्र Ex.PD प्रस्तुत किया, मामले की संपत्ति को अफ एस अल मै जमा करने क लिए पी. डब्ल्यू. त्रिलोक को सौंपने के संबंध में। गवाह–6 कांस्टेबल त्रिलोक कुमार ने भी अपना शपथ पत्र Ex.PE प्रस्तुत किया कि उन्होंने सत्यपाल से नमूना पार्सल लिया है और उसे एफएसएल मधुबन में जमा किया है। गवाह –7 आत्मा राम, जाँच अधिकारी ने भी अपने द्वारा की गई जाँच के क्रम में गवाही दी और नोटिस (EX.PA) और जवाब (Ex.PA/1) जिस पर आरोपी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और आगे कहा गया कि डी. एस. पी. प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने उन्हें आरोपी के संदेह और आशंका के बारे में सूचित किया और उनकी उपस्थिति में, एक लिखित निर्देश Ex.PB पर, उन्होंने तलाशी ली।इस गवाह ने आगे कहा कि औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, उसने नमूना पार्सल और अवशेष का एक अलग पार्सल तैयार किया, जिसे अपीलकर्ता से बरामद किया गया, जिसे उसकी मुहर 'एआर' से सील कर दिया गया और उसे कांस्टेबल भूपिंदर को सौंप दिया गया, जबकि डीएसपी ने अपनी मुहर 'पीएस' अपने रीडर सुखबीर को सौंप दी।नमूना पार्सल और शेष पार्सल को कब्जे में लेने के बाद, रिकवरी मेमो Ex.PC के माध्यम से। उन्होंने एक रुका (Ex.PF) भेजा, जिसके आधार पर, एम. एच. सी. सतपाल सिंह द्वारा औपचारिक प्राथमिकी आर. (Ex.PF/1) दर्ज की गई।इसके बाद, उन्होंने आरोपी को मामले की संपत्ति के साथ एस. आई./एस. एच. ओ. शमशेर सिंह के सामने पेश किया, जिन्होंने जांच की पुष्टि की और उसकी दो मुहरें यानी एस. नमूना पार्सल पर 'एसएस' और शेष पार्सल पर एक मुहरलगादी। जिरह में, इस गवाह ने कहा कि हालांकि उसने जांच में किसी स्वतंत्र गवाह के साथ शामिल होने की कोशिश की, लेकिन कोई भी शामिल नहीं हुआ और एक सप्ताह के बाद उसे मुहरें वापस कर दी गईं।इसके बाद अभियोजन पक्ष ने अपने अपनी गवाही को बंद कर दिया।

(5) अभियुक्त को भाग 313 Cr.P.C के तहत अपने बयान में सभी आपत्तिजनक सबूत दिए गए थे जो उसके खिलाफ आए हैं, लेकिन उसने इससे इनकार किया और मामले में अपने झूठे निहितार्थ का अनुरोध किया।हालाँकि, अभियुक्त द्वारा कोई बचाव साक्ष्य नहीं दिया गया था और निचली अदालत ने दिनांक 21.11.2002 के दोषसिद्धि के विवादित फैसले के माध्यम से अपीलकर्ता को अधिनियम की भाग 15 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और दिनांक 26.11.2002 के सजा के आदेश के माध्यम से, दो साल और छह महीने की सजा सुनाई और Rs.10,000/– का जुर्माना अदा करना होगा ।

(6) अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि नोटिस (EX PA) और सहमति ज्ञापन (EX PA./1) दोषपूर्ण हैं और अधिनियम की भाग 15 के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। प्रस्ताव/सूचना (Ex.PA) इस प्रकार हैः–

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2018(1) पेज 564–757

नेक सिंह बनाम हरियाणा राज्य (न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान)

P.S.Chandni बाग जिला पानीपत

नोटिस

"मुझे संदेह है कि आप थैले में कुछ मादक पदार्थ ले जा रहे हैं जिसे आप अपने कंधे पर ले जा रहे हैं।

चाहे आप मुझसे या किसी उच्च अधिकारी से थैले की तलाशी चाहते हों।आपको भी इसका अधिकार है।

(एसडी/–)
आत्मा राम, ए. एस. आई.,
P.S.Chandni बाग, नीपत,
18.11.97

यह सहमति ज्ञापन (Ex.PA/1) को पुनः प्रस्तुत करने के लिए भी प्रासंगिक है जो निम्नानुसार हैः–

(नोटिस का जवाब दें)

"मैं चाहता हूं कि कोई उच्च अधिकारी मेरे बैग की तलाशी ले "

(एसडी/–) पुलिस स्टेशन कीसील

नेक सिंह

(7) यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह नोटिस किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं देखा गया है और विशेष रूप से सहमति ज्ञापन (Ex.PA/1) पर ASI द्वारा हस्ताक्षर भी नहीं किए गए हैं। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि डीएसपी प्रताप सिंह द्वारा पारित आदेश भी दोषपूर्ण है क्योंकि इसमें आरोपी या किसी अन्य गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं और यह किसी भी पुलिस अधिकारी के नाम से संबोधित नहीं है।उसी को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है

"थाना चांदनी बाग जिला पानीपत

आदेश

आपको निर्देश दिया जाता है कि आप मेरी उपस्थिति में आरोपी के थैले की तलाशी लें "

एसडी/–
डीएसपी, सिटी
पानीपत ,18,11,1997

इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि डी. एस. पी. के आदेश ने ए. एस. आई. आत्मा राम को नाम से अधिकृत नहीं किया था।

(8) अपीलकर्ता के वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि न तो मौके पर या बाद में कोई फार्म संख्या 29 तैयार किया गया था और वास्तव में ऐसा कोई फार्म या तो तैयार नहीं किया गया था और न ही नमूना सीलबंद पार्सल के साथ एफएसएल को नहीं भेजा गया था जैसा कि गवाह –5 सत्यपाल के शपथ पत्र EX PD में दर्शाया गया है| जिन्होंने कहा है कि18.11.1997 को ए. एस. आई. आत्मा राम ने , दो सीलबंद पार्सल सौंपे , जिनमें से एक में 18 किलो 750 ग्राम अफीम की भुस्सी और ।

सीलबंद पार्सल के नमूने के साथ और इस शपथ पत्र में कोई संदर्भ नहीं है कि फॉर्म संख्या 29 या तो तैयार किया गया था या इस गवाह के पास जमा किया गया था, जो पुलिस स्टेशन का एम. एच. सी. था। गवाह –6 त्रिलोक कुमार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से EX PE मे यह भी स्पष्ट है कि उन्होंने एमएचसी सत्यपाल से केवल एक पार्सल दिनांक 24.11.1997 को प्राप्त किया है और उसे निदेशक, एफएसएल, मधुबन के कार्यालय में 24.11.1997 पर जमा किया है और उनके शपथ पत्र में कोई उल्लेख नहीं है कि कोई भी फॉर्म संख्या 29 उन्हें एमएचसी सत्यपाल द्वारा सौंपा गया था या उन्होंने इसे सीलबंद नमूना पार्सल के साथ एफएसएल, मधुबन को सौंप दिया था।अपीलकर्ता के वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की भाग 52–ए का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के बाद, पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. ने न तो अपीलकर्ता से बरामद वस्तुओं की कोई सूची तैयार की, न ही उसे अभियुक्त और मामले की संपत्ति के साथ सत्यापन के लिए इलाखा मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया।अपीलकर्ता के वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम की भाग 52–ए के तहत बरामद वस्तुओं की एक सूची तैयार करना अनिवार्य है ताकि बाद में उनकी पहचान की जा सके और उन्हें सत्यापन के लिए क्षेत्र मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सके और इसकी अनुपस्थिति में में, जांच अधिकारी द्वारा की गई पूरी जांच दोषपूर्ण है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जाँच अधिकारी द्वारा मामले की संपत्ति को एम. एच. सी. सत्यपाल के पास रखने के लिए दिए गए निर्देश भी दोषपूर्ण हैं क्योंकि यह न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से पुलिस मलखाना या न्यायिक मलखाना के पास जमा करने के लिए किया जा सकता है और तत्काल मामले में ऐसा कोई आदेश नहीं है क्योंकि अपीलकर्ता को कभी भी इलाक्का मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया था।

(9) अपीलकर्ता के वकील ने, अपनी दलीलों के समर्थन में, भारत संघ बनाम मोहनलाल और एक अन्य मामले में एक निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की भाग 52–ए के तहत एक प्रतिबंधित पदार्थ की वसूली और नमूने लेने से संबंधित प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः–

> “भाग 52 ए (2) (सी) (सुपरा से यह स्पष्ट है कि प्रतिबंधित पदार्थ की वसूली पर उसे या तो निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या भाग 53 के तहत सशक्त अधिकारी को भेजा जाना चाहिए जो उक्त प्रावधान में निर्धारित एक सूची तैयार करेगा और मजिस्ट्रेट को (ए) सूची की शुद्धता को प्रमाणित करने (बी) सामग्री के समक्ष ली गई ऐसी दवाओं या पदार्थों की तस्वीरों को प्रमाणित करने के उद्देश्यों के लिए आवेदन करेगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष सही साबित करने के लिए (सी) मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूने निकालना और इस तरह से तैयार किए गए नमूनों की सूची की शुद्धता को प्रमाणित करना।भाग 52–ए की उप–भाग (3) में यह अपेक्षा की गई है कि मजिस्ट्रेट जितनी जल्दी हो सके आवेदन की अनुमति देगा।इसका तात्पर्य यह है कि जैसे ही वसूली प्रभावी नहीं होती है और प्रतिबंधित पदार्थ को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या अधिकार प्राप्त अधिकारी को भेज दिया जाता है, तो संबंधित अधिकारी अपनी उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देने सहित ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए बाध्य है, जिसके बाद नमूने सूचीबद्ध किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित नमूनों की सूची की शुद्धता होगी।दूसरे शब्दों में, नमूने लेने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और उनकी देखरेख में होनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया को सही होने के लिए उनके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। वसूली के समय नमूने लेने का सवाल, जो अक्सर मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में में होता है, उपरोक्त योजनाओं में नहीं आता है।यह विशेष रूप से तब होता है जब अधिनियम की भाग 52–ए (4) के अनुसार, उपरोक्त भाग 52–ए की उप–भाग (2) और (3) के अनुपालन में मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार और प्रमाणित नमूने मुकदमे के उद्देश्य के लिए प्राथमिक साक्ष्य का गठन करते हैं।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो वसूली के समय नमूने लेने को अनिवार्य करता है।शायद यही कारण है कि कोई भी राज्य वसूली के समय नमूने लेने का दावा नहीं करता है।चाहे जो भी हो, नमूने लेने को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधान और केंद्र सरकार द्वारा जारी स्थायी आदेश के बीच स्पष्ट विरोधाभास होता है जब दोनों को एक साथ रखा जाता है।इस बात का कोई लाभ नहीं है कि इस तरह के संघर्ष को व्याख्या के पहले सिद्धांतों पर अधिनियम के पक्ष में हल करना होगा, लेकिन वैधानिक अधिसूचना को अपने वर्तमान रूप में जारी रखने से

संबंधित अधिकारियों के मन में अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने या मदद करने के बजैए भ्रम पैदा होगा।इसलिए केंद्र सरकार इस मामले की फिर से जांच करेगी और उपरोक्त दिशा में उचित कदम उठाएगी।"

(10) अपीलकर्ता के वकील ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह के बयान से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त को मामले की संपत्ति के साथ या तो इल्का मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था या मामले की संपत्ति का सत्यापन करने के बाद कोई आदेश पारित किया गया था या सूची तैयार की गई थी और ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था कि सीलबंद संपत्ति को न्यायिक मलखाना या पुलिस मलखाना में जमा किया जाए।अपीलकर्ता के वकील ने आगे कहा है कि शपथ पत्रों में अर्थात पूर्व। गवाह–5 एचसी सत्यपाल द्वारा प्रस्तुत EX PD और गवाह–6 त्रिलोक कुमार द्वारा प्रस्तुत Ex.PE में कहा कही भी नहीं कहा गया है कि मालखाने में जमा करने के समय या एफएसएल, मधुबन को सौंपने के लिए पारसेल की मुहर (एस) बरकरार थी, जिसमें छेड़छाड़ नहीं की गई थी।

(11) अपीलकर्ता के वकील ने अपनी दलीलों के समर्थन में हरजिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य 2 के एक फैसले पर भरोसा किया है जिसमें इस अदालत ने कहा है कि यदि एफ. एस. एल. को नमूना भेजने में 10 दिनों की देरी होती है, बिना कोई उचित स्पष्टीकरण दिए, तो आरोपी दोषमुक्ति का हकदार है।अपीलकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में नमूने 7 दिनों के अंतराल के बाद भेजे गए थे, बिना ऐसा कोई स्पष्टीकरण दिए।

(12) अपीलकर्ता के वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के बाद से; प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी और जांच के पूरा होने के साथ–साथ भाग 173 Cr.P.C के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, पूरी जांच एएसआई ,आत्मा राम द्वारा की गई थी और उन्होंने उचित प्रक्रिया को नहीं अपनाया है।

(13) अपीलकर्ता के वकील ने केस स्टेट दवारा इंस्पेक्टर ऑफ़ पुलिस नारकोटिक इंटेलीगेंसी बेरौ मदुरई ,तमिलनाडु बनाम रजंगें के फैसले म 3 जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः–

"अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में शामिल विवाद अब पूर्ण नहीं है।मेघना सिंह बनाम हरियाणा राज्य (1996) 11 एस. सी. सी. 709 में, इस न्यायालय ने एक स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया है कि जिस अधिकारी ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, उसे मामले की जांच के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैः

4.... हमने इस मामले में एक और परेशान करने वाली विशेषता भी देखी है। गवाह 3, श्री चंद, हेड कांस्टेबल ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके द्वारा की जा रही तलाशी पर आरोपी के पास से एक पिस्तौल और गोलियां बरामद की गईं।यह उनकी शिकायत पर एक औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज किया गया और मामला शुरू किया गया।शिकायतकर्ता होने के नाते उन्हें मामले की जांच के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए था।लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वह न केवल मामले में शिकायतकर्ता थे, बल्कि उन्होंने जांच जारी रखी और भाग 161 दंड परक्रिया संहिता के तहत गवाहों से पूछताछ की। कम से कम कहने के लिए, इस तरह की प्रथा का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए ताकि निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच पर संदेह करने का कोई अवसर न हो। "

मेगना के मामले का अनुपात अन्य मामलों द्वारा अनुसरण किया गया है।बालासुंदरन बनाम राज्य 1999 (113) ई. एल. टी. 785 (एम. ए. डी.) के एक अन्य मामले में, पैरा 16 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने भी यही दृष्टिकौर अपनाया ।प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

"16. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि गवाह 5 पुलिस निरीक्षक होने के नाते जो तलाशी के समय मौजूद थे और वे जांच अधिकारी थे और इस तरह यह अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है।अभियोजन पक्ष के अनुसार गवाह 5 तलाशी के समय गवाह. 3 और 4 के साथ मौजूद था।वास्तव में, गवाह. 5 ने अकेले मामले की जांच

शुरू की और उन्होंने गवाहों से पूछताछ की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गवाह 5 के उत्तराधिकारी ने ही आरोप पत्र दाखिल किया था।लेकिन यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि उसने किसी अन्य गवाह से पूछताछ की थी।इसलिए यह पता चलता है कि गवाह 5 वह व्यक्ति था जिसने वास्तव में मामले की जांच की थी। गवाह 5 वह व्यक्ति था जिसने विचाराधीन अपीलार्थियों की तलाशी ली थी और वह जांच अधिकारी होने के नाते, निश्चित रूप से यह उचित और सही नहीं है।जाँच किसी अन्य जाँच एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए थी।इस मामले में भी, जांच को निश्चित रूप से प्रभावितहोगी और इस तरह पूरी कार्यवाही दूषित हो जाएगी |

(14) इस प्रकार, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जिस पुलिस अधिकारी ने अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया था, उसे मामले की जाँच नहीं करनी चाहिए थी।

(15) जवाब में, राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि अधिनियम की भाग 50 के तहत एक नोटिस अपीलकर्ता को दिया गया था और उसकी सहमति दर्ज करने के बाद, डीएसपी की उपस्थिति में वसूली की गई थी और उसके बाद, अधिनियम की भाग 50 का उचित अनुपालन हूआ है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों से यह साबित होता है कि मादक पदार्थों की बरामदगी अपीलकर्ता के सचेत कब्जे से हुई थी, जिसका लिए वह कोई भी लाइसेंस नहीं पेश कर सका और एफ. एस. एल. की रिपोर्ट के अनुसार, यह गैर–वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में आने वाला अफीम की बुस्सी साबित होता है और उसके बाद, निचली अदालत ने अपीलकर्ता को सही तरीके से दोषी ठहराया है।

(16) विद्वान राज्य के वकील ने अपीलकर्ता का हिरासत प्रमाण पत्र दाखिल किया है और उसी के अनुसार, उसने 02 साल और 06 महीने की कुल सजा में से 05 महीने और 07 दिनों की वास्तविक सजा काट चुका है और वह 2003 के बाद से किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है।

(17) पार्टियों के वकील सुनने के बाद, मै वर्तमान अपील को योग्य मानता हूँ और इसे निम्नलिखित आधारों पर अनुमति दी जानी चाहिएः–

(क) यह अधिनियम की भाग 50 के अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन का एक स्पष्ट मामला है। अधिनियम की भाग 50 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को दिया गया प्रस्ताव स्पष्ट होना चाहिए कि उसे मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी लेने का कानूनी अधिकार है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के केस भारत बनाम राजस्थान राज्य बनाम परमानंद और एक अन्य,2014 (2) आर. सी. आर. (सी. आर. एल.) 40 ने अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम के कठोर प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त व्यक्ति को कुछ सुरक्षा उपाय भी प्रदान किए गए हैं जो न्यायालय को सही निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं।तत्काल मामले में, गवाह एएसआई आत्मा राम द्वारा दिए गए अधिनियम की भाग 50 के तहत नोटिस में केवल यह प्रस्ताव दिया गया है कि आरोपी को उसके (एएसआई) या कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष तलाशी लेने का अधिकार है और उसके बाद न तो नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने का अधिकार है और न ही यह उल्लेख किया गया है कि उसे राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी लेने का अधिकार है।

(ख) रिकॉर्ड के अनुसार अधिनियम की भाग 52–ए का स्पष्ट उल्लंघन है। गवाह एएसआई आत्मा राम के बयान के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलता है कि उन्होंने कोई सूची तैयार नहीं की है और यहां तक कि एस. आई./एस. एच. ओ. शमशेर सिंह ने भी बयान दिया है कि जब आरोपी को उनके सामने पेश किया गया था, तो उन्होंने कोई सूची तैयार नहीं की थी। यह कानून के स्थापित सिद्धांत है जैसा की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम मोहनला और अन्य ,2016(2) आर .सी .आर क्रिमिनल 858 । मे कहा गया है कि निषिद्ध पदार्थ की वसूली, उसे या तो निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या भाग 52–ए (2) (सी) के अनुसार एक सूची तैयार करने के लिए भाग 53 के तहत सशक्त अधिकारी को भेजा जाना चाहिए और

ऐसी सूची तैयार करने के लिए, वह इस के उद्देश्य के लिए मजिस्ट्रेट को एक आवेदन करेगा। सूचि की शुद्धता को प्रमाणित करना, ऐसे पदार्थों की तस्वीरें लेना और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूने लेने के लिए ।

(ग) रिकॉर्ड के अनुसार, वर्तमान मामले में भाग 52–ए (3) के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया जाता है। अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं है कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी और प्रतिबंधित पदार्थ की वसूली के बाद, उन्हें पुलिस या न्यायिक मालखाने में बरामद प्रतिबंधित पदार्थ जमा करने और एफ. एस. एल. को भेजे जाने के संबंध में मजिस्ट्रेट से सत्यापन और ऐसा कोई आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, बल्कि गवाह ए. एस. आई. आत्मा राम और गवाह एस. आई./एस. एच. ओ. शमशेर सिंह के बयानों के अवलोकन से पता चलता है कि आरोपी को एस. एच. ओ. के सामने पेश किए जाने के बाद, उन्होंने यानी एस. एच. ओ. ने प्रतिबंधित पदार्थ को पुलिस मालखाना में रखने का निर्देश दिया और उसे कभी भी सत्यापन के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया।

(घ) रिकॉर्ड पर यह भी स्पष्ट है कि वसूली और नमूना पार्सल के साथ–साथ शेष पार्सल को सील करते समय, जांच अधिकारी द्वारा कोई फार्म संख्या 29 तैयार नहीं किया गया था।यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि मौके पर या बाद में भी सी. एफ. एस. एल. फार्म संख्या 29 तैयार करना अनिवार्य है, उस समय जब मामले की संपत्ति पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. प्रभारी के सामने पेश की जाती है और सी. एफ. एस. एल. के सामने नमूना पार्सल के साथ एक नमूना सील चिट तैयार की जाती है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि यह वही नमूना पार्सल है जिसे जांच अधिकारी द्वारा बरामद और सील किया गया था।किसी भी फार्म संख्या 29 की अनुपस्थिति में में और एफ. एस. एल. को नमूना मुहर (एस) भेजने पर, अपीलकर्ता से की गई वसूली अत्यधिक संदिग्ध है।

(ई) यहां तक कि मौके पर की गई जांच से भी गवाह डीएसपी प्रताप सिंह की उपस्थिति के बारे में संदेह पैदा होता है क्योंकि यह प्राथमिकी में ही आया है कि वह मौके पर सयोंग से आया था।इसलिए उन्हें इस संबंध में कभी कोई जानकारी नहीं दी गई।डी. एस. पी. द्वारा दिया गया निर्देश भी अस्पष्ट प्रतीत होता है इसमें केवल यह लिखा है कि "आपको आप को मेरी उपस्थिति मै अभियक्त के थैले की खोज करने के लिए निर्देशित किया जाता है।"इस आदेश में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि उन्होंने किसे तलाशी लेने का निर्देश दिया था।यहां तक कि अपीलकर्ता के सहमति ज्ञापन पर भी उसके हस्ताक्षर होते हैं और यह न तो जांच अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है और न ही किसी व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया गया है और इसलिए, यह अभियोजन पक्ष के कथन को अत्यधिक संदिग्ध बनाता है।

(च) अभियोजन पक्ष का मामला इस कारण से भी संदिग्ध है कि एएसआई आत्मा राम द्वारा पुलिस स्टेशन को भेजे गए रुका (Ex.PF) के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वसूली ज्ञापन Ex.PC के अनुसार अपीलकर्ता से प्रतिबंधित पदार्थ की वसूली की जाती है। यह रुका दोपहर 12 बजे पर लिखा गया थाः और पुलिस स्टेशन के एम. एच. सी. द्वारा तसद्दीक कि गई है जिस पर डी. डी. आर. संख्या 23 दोपहर 1 बजे अधिनियम की भाग 15, के तहत मे . केस नंबर/एफ़. आई. आर. नंबर 762 दिनांक 18.11.1997 P.S.Chandni , बाग पानीपत मे दर्ज है।

हलाकि ,वसूली मीमो EX PC के अवलोकन मे जो की प्राथमिकी दर्ज़ करने से पहले दर्ज़ किया गया है अधिनियम के भाग 15 के तहत प्राथमिकी संख्या 762 दिनांक 18.11.1997 थाना चांदनी बाग का उल्लेख मिलता है | इससे जाँच बहुत संधिग्द हो जाती है |

(छ) ए. एस. आई. आत्मा राम द्वारा पूरी जांच उस समय से की जाती है जब आरोपी को भाग 173 Cr.P.C के तहत रिपोर्ट तैयार करने और जमा करने तक संदेह के आधार पर पकड़ा गया था। इसलिए, किसी भी समय, उसके द्वारा की गई जांच को किसी अन्य स्वतंत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।इसलिए, राजंगम के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए, एएसआई आत्मा राम द्वारा की गई पूरी जांच सही नहीं की गई है।

(ज) एफएसएल, मधुबन को नमूना पार्सल भेजने में 7 दिनों की अस्पष्टीकृत देरी हुई है।शपथ–पत्रों EX PD गवाह –5 एचसी सत्यपाल का हलफनामा और EX PE गवाह –त्रिलोक कुमार का , हलफनामा जिन्होंने गवाह एमएचसी सत्यपाल से इसे लिया है और इसे निदेशक, एफएसएल, मधुबन के कार्यालय में जमा किया है, न तो यह उल्लेख किया गया है कि कोई फॉर्म संख्या 29 एफएसएल को सौंपा गया था और न ही देरी के बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया गया है।

(18) उसी को ध्यान में रखते हुए, यह अपील स्वीकार की जाती है और अधिनियम की आदेश 15 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने वाले दिनांक 21.11.2002 के सजा के विवादित फैसले और सजा के आदेश दिनांक 26.11.2002 जिसमे उसे दो साल और छह महीने के लिए आर. आई. से गुजरने की सजा के साथ–साथ आई. डी. 10,000/– के जुर्माने को दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलार्थी–दोषी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है।उसकी जमानत बांड ख़ारिज जारी किए जाते हैं।

जे एस मेहंदीरत्ता

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

राजेश कपूर
2F16YW
ट्रांसलेटर

S